

अध्याय 3
वाणिज्य-कर

अध्याय-3: वाणिज्य-कर

3.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य-कर¹ का आरोपण एवं संग्रहण, निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके अंतर्गत बने नियमावली के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993;
- बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948;
- बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988;
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948;
- बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर अधिनियम, 2011; एवं
- बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007।

शीर्ष स्तर पर, वाणिज्य-कर विभाग का नेतृत्व राज्य कर आयुक्त द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता राज्य कर विशेष आयुक्त, राज्य कर अपर आयुक्त, राज्य कर संयुक्त आयुक्त और राज्य कर उपायुक्त/राज्य कर सहायक आयुक्त द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य को नौ² प्रशासनिक प्रमंडलों, नौ³ अपील प्रमंडलों और नौ⁴ अंकेक्षण प्रमंडलों में विभाजित किया गया है, जैसाकि वे मूल्यवर्द्धित कर अवधि में थे, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर अपर आयुक्त द्वारा किया जाता है। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को आगे 50 अंचलों में उप-विभाजित किया गया है, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर सहायक आयुक्तों की सहायता से राज्य कर संयुक्त आयुक्त/राज्य कर उपायुक्त द्वारा किया जाता है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा ने वाणिज्य-कर विभाग की 90 इकाइयों में से 17 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जाँच की, जिसमें 414 मामलों में सन्निहित ₹ 109.25 करोड़ की अनियमितताएँ पाई गईं जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि तालिका 3.1 में वर्णित है।

1 वाणिज्य-कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर, यात्रियों एवं वस्तुओं पर कर, विद्युत पर कर और शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर, पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं।

2 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्व, पटना पश्चिम, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

3 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्व, पटना पश्चिम, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

4 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्व, पटना पश्चिम, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

तालिका-3.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ लाख में)

क्र० सं०	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
क: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर			
1.	कर का आरोपण नहीं एवं कम आरोपण किया जाना	40	1,015.05
2.	आवर्त का छिपाव किया जाना	29	441.01
3.	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति दिया जाना	27	497.45
4.	कर से छूट का अनियमित अनुमति दिया जाना	7	2.46
5.	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का आरोपण नहीं या कम आरोपण किया जाना	2	557.69
6.	कर का गलत दर लगाया जाना	25	1,643.13
7.	आवर्त का गलत निर्धारण के कारण कम आरोपण	19	467.54
8.	अन्य मामले	179	5,094.51
कुल		328	9,718.84
ख: प्रवेश कर			
1.	आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	15	767.19
2.	अन्य मामले	20	302.32
कुल		35	1,069.51
ग: विद्युत शुल्क			
1.	अन्य मामले	1	0
कुल		1	0
घ: माल एवं सेवा कर			
1.	माल एवं सेवा कर का नहीं/कम आरोपण किया जाना	50	136.74
कुल		50	136.74
कुल योग		414	10,925.09

वर्ष 2020-21 के दौरान, विभाग ने 505 मामलों में ₹ 117.11 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 151 मामलों में ₹ 8.29 करोड़ की वसूली की जो कि 2020-21 के पूर्व इंगित किए गए थे। पूर्ववर्ती वर्षों के शेष मामलों एवं 2020-21 के सभी मामलों के जवाब अप्राप्त थे (मार्च 2022)।

3.3 "संक्रमणकालीन क्रेडिट" पर अनुपालन लेखापरीक्षा

3.3.1 परिचय

माल एवं सेवा कर का लागू किया जाना देश में अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है जिसने केन्द्र एवं राज्यों द्वारा लगाए और एकत्र किए गये विभिन्न करों की जगह ली है। केन्द्र और राज्यों द्वारा एक ही कर आधार पर एक साथ कर का आरोपण किया जाता है। केन्द्रीय माल एवं सेवा कर और राज्य माल एवं सेवा कर/केन्द्रशासित प्रदेश माल एवं सेवा कर राज्यान्तर्गत आपूर्ति और एकीकृत माल एवं सेवा कर अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर आरोपित किया जाता है। कर प्राधिकरण को कर का अधिकार क्षेत्र आपूर्ति के स्थान के आधार पर है।

इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए करों का आउटपुट टैक्स देनदारी के खिलाफ समायोजन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता, माल एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। मौजूदा कानूनों से माल एवं सेवा कर व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा कानूनों के तहत भुगतान किए गए करों या शुल्क के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए करदाताओं की सुविधा के लिए माल एवं सेवा कर अधिनियमों में "इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था" को शामिल किया गया है। संक्रमणकालीन क्रेडिट प्रावधान सरकार और व्यवसाय दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह "सुगम व्यापार सुनिश्चित करने का" एक उपकरण है, जो माल एवं सेवा कर की महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। यह प्रावधान करदाताओं को ऐसे इनपुट क्रेडिट को केवल तभी स्थानांतरित करने में सक्षम बनाते हैं जब उनका उपयोग व्यवसाय के सामान्य तरीके या व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया गया हो।

3.3.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र एव कार्यपद्धति

जुलाई 2017 से मार्च 2020 की अवधि को आवृत्त करते हुए लेखापरीक्षा का आयोजन (अप्रैल 2021 एवं अक्टूबर 2021 के मध्य) किया गया। 50 वाणिज्य-कर अंचलों में से 18 अंचलों के अभिलेखों का चयन लेखापरीक्षा जाँच के लिए किया गया।

केन्द्रीय कर क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत आने वाले 758 करदाताओं द्वारा किए गये राज्य माल एवं सेवा कर के कारण ₹ 110.55 करोड़ के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के कुल दावों में से लेखापरीक्षा ने 18 अंचलों में ₹ 79.50 करोड़ के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि अधिकार क्षेत्र में आने वाले करदाताओं और कूल राज्य माल एवं सेवा कर दावों का 72 प्रतिशत है, का दावा करने वाले 85 करदाताओं (73 सत्यापित/मूल्यांकित मामलों और 12 असत्यापित/अमूल्यांकित मामलों) के अभिलेखों की जाँच की।

3.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का आयोजन यह आकलन करने के उद्देश्य से किया गया कि:

- कर निर्धारिती द्वारा माल एवं सेवा कर अवधि में ले जाए गये संक्रमणकालीन क्रेडिट, बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम एवं नियमावली 2017 के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन में थे।
- कर निर्धारिती द्वारा माल एवं सेवा कर अवधि में ले जाए गये संक्रमणकालीन क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे माल एवं सेवा कर अधिनियम/नियमों के तहत स्वीकार्य है।

3.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं:

- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम और नियमावली, 2005;
- स्थानीय क्षेत्रों में बिक्री, उपयोग और उपभोग के लिए माल के प्रवेश पर बिहार कर अधिनियम, 1993;
- बिहार माल और सेवा कर अधिनियम और नियमावली, 2017; और
- केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड एवं राज्य वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएँ/परिपत्र/आदेश।

3.3.5 संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों के लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा ने उन मामलों में सत्यापित/मूल्यांकित संचिकाओं की जाँच की जहाँ संक्रमणकालीन क्रेडिट दावों का सत्यापन उचित अधिकारियों द्वारा किया गया था। उन मामलों में, जहाँ उचित अधिकारियों द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था, लेखापरीक्षा ने माल एवं सेवा कर ट्रान-1 और ट्रान-2 फॉर्मों और माल एवं सेवा कर की अवधि से पूर्व से संबंधित पिछले छः महीनों के रिटर्नों की जाँच की। राज्य में करदाताओं द्वारा संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों का विवरण, नमूना के रूप में केन्द्रीय कर प्राधिकरण के तहत संक्रमणकालीन राज्य माल एवं सेवा कर दावों के चयनित मामले, विभाग द्वारा जाँचे गए मामले और लेखापरीक्षा द्वारा जाँचे गए मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	विवरण	मामलों/करदाताओं की सं०	राशि
1.	राज्य में राज्य माल एवं सेवा कर के तहत करदाताओं द्वारा किये गए कुल संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट दावा	758	110.55
2.	राज्य माल एवं सेवा कर के तहत करदाताओं द्वारा किये गए संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स दावों जो लेखापरीक्षा द्वारा चयनित एवं सत्यापित है।	85	79.50
3.	नमूना मामलों में से विभाग द्वारा जाँच की गई	73	74.66
4.	सत्यापित/मूल्यांकित मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई अनियमितताएँ	29	19.52
5.	असत्यापित/अमूल्यांकित मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई अनियमितताएँ	04	1.44

3.3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 140 के साथ पठित बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 117 के अनुसार कोई निबंधित व्यक्ति, जो धारा 10 के तहत कंपोजिशन व्यवसायी के रूप में निबंधित व्यक्ति के अलावा हो, वह;

- (क) माल एवं सेवा कर के पूर्व की अवधि (2017-18 की पहली तिमाही) के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अप्रयुक्त राशि को माल एवं सेवा कर अवधि में अग्रेषित करने का हकदार था।
- (ख) पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि जो 2017-18 की पहली तिमाही से संबंधित विवरणी में अग्रेषित नहीं है को अग्रेषित करने का हकदार था।
- (ग) बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 140(3) से 140(6) के अंतर्गत, स्टॉक में रखे गए इनपुट और स्टॉक में रखे गए अर्द्ध-निर्मित या निर्मित माल में समाहित इनपुट जिस पर माल एवं सेवा कर-पूर्व अवधि में क्रेडिट का लाभ नहीं लिया गया था और करदाता ऐसे इनपुट पर माल एवं सेवा कर के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के योग्य है, से संबंधित वैट और प्रवेश कर का क्रेडिट भी माल एवं सेवा कर अवधि में अग्रेषित करने हेतु हकदार थे।

उपरोक्त क्रेडिट का दावा करने के लिए, माल एवं सेवा कर ट्रान-1 और माल एवं सेवा कर ट्रान-2 में घोषणा पत्र को कॉमन पोर्टल पर दाखिल किया जाना आवश्यक था।

इसके अलावा, करदाता माल एवं सेवा कर के तहत संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा करने के हकदार थे यदि माल एवं सेवा कर के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में क्रेडिट स्वीकार्य था, व्यवसायी ने मौजूदा अधिनियमों के तहत 1 जुलाई 2017 से पहले के छः महीने की अवधि के लिए आवश्यक सभी रिटर्न दाखिल किए थे एवं उक्त क्रेडिट की राशि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित छूट संबंधी अधिसूचनाओं के तहत विनिर्मित एवं शोधित वस्तुओं से संबंधित नहीं था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य माल एवं सेवा कर के तहत संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा करते समय करदाताओं द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था जिसे आगे सत्यापित मामलों में और सत्यापन नहीं होने के कारण असत्यापित मामलों में उचित अधिकारियों द्वारा पता नहीं लगाया जा सका। 33 करदाताओं द्वारा ₹ 20.96 करोड़ के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित दावों की चर्चा कंडिका 3.3.6.1 से 3.3.6.6 में की गई है।

3.3.6.1 पता लगाई गई राशि का गैर-प्रत्यावर्तन

उचित अधिकारी ने वसूली के लिए देय ₹ 15.95 करोड़ की वसूली हेतु कोई कार्रवाई शुरू नहीं की।

बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन पारित आदेश के अनुसरण में बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 78 प्रावधित करती है कि कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर भुगतान किया जाएगा, जिसके विफल होने पर वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी बशर्ते कि जहाँ उचित अधिकारी राजस्व हित में ऐसा करना समयोचित समझता है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त कराधेय व्यक्ति से उसके द्वारा ऐसी तीन मास से कम विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा। इसके अलावा बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 का धारा 79 के प्रावधानों के तहत कर की वसूली के विभिन्न तरीकों को निर्धारित किया गया है।

नमूना जाँच किए गए 85 करदाताओं में से छः अंचलो⁵ में 16 करदाताओं की सत्यापित/आकलित अभिलेखों (अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021) की लेखापरीक्षा नमूना जाँच से पता चला कि करदाताओं द्वारा उचित अधिकारी द्वारा मई 2019 से अगस्त 2019 के अवधि के दौरान उठाई गई ₹ 16.58 करोड़ की माँग में से केवल ₹ 0.63 करोड़ जमा/प्रत्यावर्तित किया गया। इस

⁵ मुजफ्फरपुर पूर्व, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्व, पटना विशेष और शाहाबाद।

प्रकार, माँग के 19 महीनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी करदाताओं द्वारा 15.95 करोड़ जमा/प्रत्यावर्तित नहीं किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-I** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बिहार राज्य माल एवं सेवा कर, अधिनियम, 2017 की धारा 79 के तहत उचित अधिकारियों द्वारा पता की गई राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा, उपरोक्त मामलों में से, पटना मध्य अंचल के दो मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि वसूली के लिए बैंको के साथ उचित अधिकारियों द्वारा पत्राचार किया गया था, गैर-अनुवर्ती के कारण, राशि जुलाई 2021 तक वसूली के लिए लंबित थी।

पता की गई राशि की वसूली के लिए प्रक्रिया प्रारंभ न करने/विलंब करने के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई। इससे इंगित करने के बाद (अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021), छः अंचलों के उचित अधिकारियों ने जवाब दिया कि मामले की जाँच की जाएगी। पटना विशेष अंचल के राज्य कर संयुक्त आयुक्त ने जवाब दिया कि वसूली प्रक्रिया उस क्षेत्राधिकार प्राधिकारी द्वारा की जानी है जिसके तहत करदाता पंजीकृत है। राज्य कर संयुक्त आयुक्त का जवाब सही नहीं है क्योंकि उपरोक्त मामले राज्य माल एवं सेवा कर से संबंधित हैं।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2021); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.3.6.2 स्रोत पर की गई कर कटौती का संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दावा किया जाना

दो अंचलों के दो करदाताओं ने ₹ 1.69 करोड़ की स्रोत पर की गई कर कटौती का गलत दावा माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में किया गया।

अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 के दौरान सत्यापन अभिलेखों के साथ-साथ माल एवं सेवा कर ट्रान-1 और वैट अवधि की अंतिम तिमाही/वार्षिक रिटर्न और भुगतान विवरण आदि के नमूना जाँच में पता चला कि, नमूना जाँच किए गए 85 करदाताओं में से (उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित एक सहित) कटिहार के एक करदाता और पाटलिपुत्र अंचल के एक करदाता ने माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में ₹ 1.69 करोड़ के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। ये दावे स्रोत पर की गई कर कटौती से संबंधित थे न कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दावा किया गया था। इस प्रकार, इन करदाताओं ने ₹ 1.69 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया और इसलिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज और अर्थदण्ड के अतिरिक्त ₹ 1.69 करोड़ के कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं, जैसा कि **परिशिष्ट-II** में वर्णित है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2021); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.3.6.3 अंतिम रिटर्न में अग्रेषित इनपुट टैक्स क्रेडिट से ज्यादा संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा ट्रान-1 में किया जाना

दो अंचलों के तीन करदाताओं ने वैट की अंतिम रिटर्न की तुलना में ₹ 35.31 लाख के अधिक संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में किया।

अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 के दौरान सत्यापन अभिलेखों के साथ-साथ माल एवं सेवा कर ट्रान-1 और वैट अवधि की अंतिम तिमाही/वार्षिक रिटर्न और भुगतान विवरण आदि की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि जाँच किये गये 85 करदाताओं में से दो अंचलों⁶ के तीन करदाताओं ने ट्रान-1 में ₹ 35.31 लाख के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा

⁶ पाटलिपुत्र और पटना सिटी पश्चिम।

किया था, हालाँकि उन करदाताओं ने वैट अवधि की अंतिम रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई अग्रेषण नहीं दिखाया था जैसा कि बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के धारा 140(1) के अंतर्गत आवश्यक था। इस प्रकार इन करदाताओं ने ₹ 35.31 लाख के अधिक संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया और इस प्रकार वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज और अर्थदण्ड के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी थे, जैसा कि **परिशिष्ट-III** में वर्णित है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2021); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.3.6.4 अंतिम भंडार पर संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा

दो अंचलों के तीन करदाताओं ने माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में अंतिम भण्डार पर ₹ 1.58 करोड़ के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया।

अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 के दौरान सत्यापन अभिलेखों के साथ-साथ माल एवं सेवा कर ट्रान-1 और वैट अवधि की अंतिम तिमाही/वार्षिक रिटर्न और भुगतान विवरण आदि की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि नमूना जाँच किये गए 85 करदाताओं में से दो अंचलों⁷ के तीन करदाताओं (सभी उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित) ने अंतिम भण्डारण पर माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में ₹ 3.71 करोड़ के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। इस प्रकार व्यवसायियों का इरादा वैट अवधि के इनपुट पर भुगतान किए गये वैट/प्रवेश कर की असमायोजित राशि, जो बीजक/कर भुगतान के साक्ष्य दस्तावेजों द्वारा समर्थित थे, को माल एवं सेवा कर अवधि में अग्रेषित करने के लिए बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 140(3), 140(4)(ख) और 140 (6) के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में राज्य माल एवं सेवा कर क्रेडिट के रूप में अग्रेषित किया गया।

हालाँकि, 2017-18 की पहली तिमाही के वैट/प्रवेश कर के तिमाही रिटर्न की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि रिटर्न में उल्लेखित तथ्यों और आँकड़ों⁸ के आलोक में व्यवसायियों के दावे गलत थे। इस प्रकार इन व्यवसायियों ने ₹ 1.58 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया था और इसलिए वे उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार देय ब्याज और अर्थदण्ड के अलावा ₹ 1.58 करोड़ के कर भुगतान के लिए उत्तरदायी थे, जैसा कि **परिशिष्ट-IV** में वर्णित है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2021); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.3.6.5 अनियमित क्रेडिट का पता चलने पर ब्याज/अर्थदण्ड की नहीं/कम माँग

चार अंचलों के पाँच करदाताओं के मामलों में अनियमित संक्रमणकालीन क्रेडिट पर उचित अधिकारी ब्याज एवं अर्थदण्ड के रूप में ₹ 82.35 लाख का पता लगाने में विफल रहे।

बिहार माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 121 में प्रावधान है कि नियम 117 के उपनियम (3) के तहत जमा की गई राशि का सत्यापन किया जा सकता है और धारा 73 के तहत कार्यवाही या, जैसा भी मामला हो, धारा 74 किसी भी गलत तरीके से लिए गए क्रेडिट के संबंध में शुरू की जाएगी चाहे वह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से हो।

इसके अलावा, बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 73(9) के अनुसार, उचित अधिकारी कर की राशि, ब्याज और कर के दस प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड या दस हजार

⁷ कटिहार और पाटलिपुत्र।

⁸ करदाता ने 2017-18 की पहली तिमाही की तिमाही रिटर्न में किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अग्रेषण का दावा नहीं किया था, और प्रवेश कर का कम भुगतान किया था, करदाता के पास संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में अग्रेषण के लिए कोई शेष प्रवेश कर नहीं था और करदाता ने शेष प्रवेश कर भुगतान की तुलना में अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के अग्रेषण का दावा किया।

रूपये, जो भी अधिक हो, निर्धारित करेगा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा देय होगा और एक आदेश जारी करेगा।

चार अंचलों⁹ में सत्यापन अभिलेखों की जाँच से पता चला कि नमूना जाँच किए गए 85 करदाताओं में से पाँच करदाताओं (सभी उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित) के मामले में, उचित अधिकारियों द्वारा ₹ 5.52 करोड़ के अनियमित संक्रमणकालीन क्रेडिट का पता लगाया गया। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि उचित अधिकारियों ने इन करदाताओं से आरोप्य ब्याज/अर्थदण्ड की माँग नहीं की थी। अतः इन करदाताओं से ₹ 82.35 लाख की राशि का ब्याज और अर्थदण्ड वसूली योग्य था, जैसा कि **परिशिष्ट-V** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021), चार अंचलों के उचित अधिकारियों ने जवाब दिया कि मामलों की जाँच की जाएगी और बेगूसराय अंचल के एक मामले में राज्य कर संयुक्त आयुक्त ने जवाब दिया कि वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसार, ब्याज तभी वसूली योग्य होता है जब भुगतान नगद खाता बही को डेबिट करके किया जाता हो। राज्य कर संयुक्त आयुक्त का जवाब तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि वित्त अधिनियम 2021 ने केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 50 की उपधारा (1) के संबंध में ऐसा प्रावधान निर्धारित किया है जो कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज लगाने से संबंधित है। इसने केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 50 की उपधारा (3) के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत लाभ पर ब्याज लगाने से संबंधित है।

मामला विभाग को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2021); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.3.6.6 अन्य कारणों से संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा

तीन अंचलों के चार करदाताओं ने माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में ₹ 57.31 लाख के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया।

अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 के दौरान सत्यापन अभिलेखों के साथ-साथ माल एवं सेवा कर ट्रान-1 और वैट अवधि की अंतिम तिमाही/वार्षिक रिटर्न और भुगतान विवरण आदि की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि नमूना जाँच किये गए 85 करदाताओं में से तीन अंचलों¹⁰ के चार करदाताओं (सभी उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित) ने माल एवं सेवा कर ट्रान-1 में ₹ 57.31 लाख के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था लेकिन ये दावे विभिन्न कारणों¹¹ से गलत थे।

इस प्रकार, इन व्यवसायियों ने ₹ 57.31 लाख के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया और इसलिए वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज और अर्थदण्ड के अलावा ₹ 57.31 लाख के कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे, जैसा कि **परिशिष्ट-VI** में वर्णित है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (दिसम्बर 2021); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.3.7 निष्कर्ष

केन्द्रीय कर प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले और लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किये गये 85 करदाताओं द्वारा राज्य माल एवं सेवा कर संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों के ₹ 79.50 करोड़ में से 33 मामलों में ₹ 20.96 करोड़ (26.36 प्रतिशत) गलत संक्रमणकालीन दावों के रूप में पाये गये। इसमें 17 मामलों में ₹ 5.01 करोड़ के गलत संक्रमणकालीन दावों और

⁹ बेगूसराय, भागलपुर, पटना विशेष और पूर्णिया।

¹⁰ कदमकुआँ, पटना उत्तर और शाहाबाद।

¹¹ करदाता संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र नहीं थे क्योंकि वैट के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा आवर्त का छिपाव, शुरुआती भंडार का छिपाव और 2016-17 से इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत अग्रेषण के कारण गलत था, जिसके परिणामस्वरूप गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट को 2016-17 से अग्रेषित किया गया।

उचित अधिकारियों द्वारा सत्यापित 16 मामलों में ₹ 15.95 करोड़ की पता लगाई गई राशि को वापस न करना शामिल था। गलत तरीके से दावे किए गए संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का इतना अधिक प्रतिशत स्वयं प्रक्रिया में निहित जोखिम को इंगित करता है। सत्यापित/मूल्यांकित मामलों में ₹ 16.59 करोड़ की माँग में से ₹ 15.95 करोड़ (96.14 प्रतिशत) अप्राप्त था। यह इंगित करता है कि सत्यापित/मूल्यांकित मामलों की अनुवर्ती प्रणाली बहुत खराब है।

3.3.8 अनुशंसा

- विभाग को शेष निर्धारती के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों का सत्यापन करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों का ठीक से पालन किया गया था।
- संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत दावे के कारण बकाया की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाया जाना चाहिए।

3.4 लीगेसी मामले

3.4.1 बंद व्यवसाय के अंतिम भंडारण पर कर एवं शास्ति का आरोपण नहीं करना

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवसाय बंद होने पर अंतिम भंडार पर ₹ 94.63 लाख का कर आरोपित नहीं किया।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 3(5) में उपबंधित किया गया है कि एक पंजीकृत व्यवसायी को अपने व्यवसाय को बंद करने या बंद करने के बाद उसके पास शेष माल के भंडार पर कर का भुगतान करना आवश्यक है।

सितम्बर 2021 में भागलपुर वाणिज्य-कर अंचल में निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच से पता चला है कि एक व्यवसायी ने 18.06.2016 को अपने भंडार विवरणी में ₹ 3.51 करोड़ के माल के अंतिम भंडार का खुलासा किया था। व्यवसायी ने अप्रैल 2016 से न तो कोई रिटर्न दाखिल किया और न ही बाद के वर्षों के लिए कोई कर का भुगतान किया था। चूँकि उसने अपना व्यवसाय बन्द कर दिया था इसलिए वह बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24(10) के प्रावधान के अनुसार उसके द्वारा रखे गए माल के भंडार पर 1.5 प्रतिशत की दर से उदग्रहणीय ब्याज के साथ कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। कर-निर्धारण प्राधिकारी ने कारोबार बंद होने पर अंतिम भंडार पर कर का आरोपण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 41.91 लाख के ब्याज सहित ₹ 94.63 लाख¹² के कर का आरोपण नहीं हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2022); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.4.2 आवर्त्त का छिपाव किया जाना

कर-निर्धारण प्राधिकारी ₹ 3.51 करोड़ के आवर्त्त के छिपाव का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 1.18 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के धारा 31(2), के अंतर्गत कर-निर्धारण प्राधिकारी को छिपाव, त्रुटि या सही बिक्री/खरीद के प्रकटीकरण में विफलता के मामलों में छूटे हुए आवर्त्त पर देय कर एवं ब्याज के अलावा देय कर का तीन गुणा अर्थदण्ड आरोपित करने का शक्ति प्रदत्त है। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) की उपधारा (क) से

¹² गणना:-

कर ₹ 3,51,44,991 पर 15 प्रतिशत की दर से	=	₹ 52,71,748
ब्याज 53 माह हेतु 1.5 प्रतिशत की दर से	=	₹ 41,91,039
कुल	=	₹ 94,62,787

(छ) के तहत कर-निर्धारण प्राधिकारी विहित छ: जाँच सूची के अनुसार प्रत्येक तिमाही एवं वार्षिक रिटर्न की संवीक्षा करेगा।

जुलाई 2021 में दो वाणिज्य-कर अंचलों¹³ में निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच से पता चला कि तीन व्यवसायियों ने 2016-17 की अवधि के दौरान अपने वार्षिक रिटर्न में केवल ₹ 68.02 करोड़ की अपनी खरीद/बिक्री का खुलासा किया था। हालाँकि, बिक्री, खरीद/ट्रेडिंग लेजर/सुविधा विवरणी के आंकड़ों के अनुसार, उनकी खरीद/बिक्री का कारोबार ₹ 71.53 करोड़ होना चाहिए। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि व्यापारियों ने अपने आवर्त को ₹ 3.51 करोड़ तक छिपाव किया जो निर्धारण के दौरान भी निर्धारण पदाधिकारियों द्वारा पता नहीं लगाया जा सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 74.11 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 18.69 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.18 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-VII में वर्णित है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2022); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.4.3 प्रवेश कर की गैर-स्वीकृति

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कर-निर्धारण करते समय प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य ब्याज सहित ₹ 45.21 लाख के प्रवेश कर की कम वसूली हुई।

स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर बिहार कर अधिनियम की धारा 3, यह प्रावधित करती है कि स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए अनुसूचित वस्तुओं के प्रवेश पर एक कर लगाया और एकत्र किया जाएगा। इसके अलावा बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी द्वारा कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर, उसे 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

सितंबर 2021 में भागलपुर वाणिज्य-कर अंचल के निर्धारण अभिलेखों के लेखापरीक्षा नमूना जाँच से पता चला कि एक व्यवसायी ने 2016-17 के दौरान अपनी वार्षिक विवरणी में ₹ 3.15 करोड़ के हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर के आयात पर ₹ 25.19 लाख (8 प्रतिशत की दर से) की अपनी प्रवेश कर की देयता स्वीकार नहीं की। कर-निर्धारण प्राधिकारी, कर निर्धारण करते समय प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य ब्याज सहित ₹ 45.21 लाख के प्रवेश कर की कम वसूली हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2022); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.4.4 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित/अधिक दावा

कर-निर्धारण प्राधिकारी ₹ 1.39 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित/अधिक दावों का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 6.68 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 16 के अनुसार जब एक निबंधित व्यवसायी बिहार राज्य के अंदर किसी अन्य निबंधित व्यवसायी से अधिनियम की धारा 14 अथवा धारा 4 के तहत कर का भुगतान करने के पश्चात कोई इनपुट का क्रय करता है, तब वह विहित तरीके से इनपुट टैक्स के क्रेडिट का दावा करने के योग्य है, यदि माल की बिक्री राज्य के अंदर अथवा अन्तर्राज्यीय बिक्री एवं वाणिज्य के क्रम में राज्य के अंदर अथवा राज्य के बाहर बिक्री

¹³ पटना सिटी पूर्व और पटना उत्तर।

के लिए वस्तुओं (अनुसूची-IV के वस्तुओं के अलावा) के विनिर्माण में खपत की गयी हो। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 31(2), निर्धारण प्राधिकारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत दावे के लिए देय कर के तीन गुणा के बराबर अर्थदण्ड के अलावा 1.5 प्रतिशत प्रति माह ब्याज के आरोपण का अधिकार प्रदान करती है।

पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) का उपबंध (छ), कर-निर्धारण पदाधिकारी को, रिटर्न में दावा किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं अन्य कटौतियों से संबंधित दावों के समर्थन में भी सूचनाएँ एवं साक्ष्य, विहित तरीके से प्रस्तुत किये गये हैं, को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धारा 24 की उप धारा (1) एवं (3) के अंतर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है।

जुलाई और अगस्त 2021 के मध्य दो वाणिज्य-कर अंचलों¹⁴ में निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच से पता चला कि तीन व्यवसायियों ने 2015-16 एवं 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 2.63 करोड़ की उनकी स्वीकार्य पात्रता के विरुद्ध ₹ 43.18 करोड़ के माल की खरीद पर ₹ 4.02 करोड़ इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि व्यवसायियों ने ₹ 1.39 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जिसको निर्धारण के दौरान भी कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पता नहीं लगाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.16 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 1.13 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 6.68 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-VIII** में वर्णित है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2022); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

3.4.5 कर के गलत दर लगाये जाने के कारण कर का कम आरोपण

कर-निर्धारण प्राधिकारी कर के गलत दर लगाये जाने का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.12 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधान के तहत निर्धारित प्राधिकारी, निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित तरीके से पता लगाने के उद्देश्य से धारा 24 की उप-धारा (1) एवं (3) के अंतर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा करेंगे कि कर के दरों को सही तरीके से लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 39 (4) के प्रावधान के तहत, देय कर की राशि पर प्रति माह 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देय है।

अगस्त और सितंबर 2021 के मध्य तीन वाणिज्य-कर अंचलों¹⁵ में निर्धारित अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच से पता चला कि सात व्यवसायियों ने 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 13.57 करोड़ की बालू एवं गिट्टी और बिजली की सामग्री पर अपनी कर की देनदारी का निर्धारण छः से 15 प्रतिशत के सही दर पर निर्धारण करने के बजाय पाँच से छः प्रतिशत की निम्न दर पर किया। कर-निर्धारण प्राधिकारी निर्धारण के दौरान कर की गलत दर लगाये जाने का पता लगाने में विफल रहे। इस प्रकार कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा करों की गलत दरों का पता लगाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 92.43 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.12 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-IX** में वर्णित है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2022); जवाब अप्राप्त था (मार्च 2022)।

¹⁴ पटना सिटी पूर्व और पटना उत्तर।

¹⁵ भागलपुर, दानापुर और पटना मध्य।